



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-669

New Delhi: 17.09.2020

Sh. Mukesh Sharma
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 05.09.2020 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

**Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.**

S.K. Roy
17.09.2020

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 02 sheets



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.: ALD (W)EN/RTI/49 –(Vol-IV)

Date: 08.09.2020

एस. के. रॉय
डी.जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री मुकेश शर्मा द्वारा माँगी गयी सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।


संदर्भ: प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली का पत्रांक 2020/HQ/ADMIN/RTI-669
दिनांक 07.09.2020।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री मुकेश शर्मा द्वारा माँगी गयी सूचना प्रतिनियुक्ति पर डी.एफ.सी.सी.आई.एल. में कार्यरत इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग के महाप्रबंधक व उनके अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

बिन्दु 1 व 2 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दोनों ही बिन्दुओं पर आपके द्वारा माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिटीशन संख्या 27734/2012 दिनांक 03.10.2012 में दिये गये निर्णय में स्पष्ट है कि जिसका जन समुदाय से सम्बन्ध नहीं है, ऐसी सूचना आवेदक को देय नहीं है। इसका स्पष्टीकरण जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के भारत राजपत्र में सेक्शन 8 (1) (j) में स्पष्ट है।

संलग्नक: यथोक्त।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (पश्चिम)



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprises

दिनांक:- 17.09.2020


पत्र संख्या: ALD(E)/EN/RTI/71(Vol-I)

Public Information Officer
Corporate Office
New Delhi.

Sub: Providing information writ original application received under the RTI Act-2005.

Ref: CO letter No. 2020/HQ/ADMIN/RTI-669 (RTI Application dated 07.09.2020 received on 13.09.2020 of Shri Sh. Mukesh sharma).

With above reference, there is no any Electrical official working on deputation in Allahabad (E) from Jan' 2018 to August' 2020. As such no information is available.


(K. S. Dwivedi)

Dy. Project Manager/Engg.
Allahabad/East